

# कार्यालय नगर आयुक्त

## नगर निगम, वाराणसी

संख्या-16/VSCL/19-20


आदेश

दिनांक-12.04.2019

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जोनवार/वार्डवार तैनात समस्त सफाई कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति मानकों के अनुरूप नहीं हो रही है। संलग्न सूची के अनुसार दिनांक 03.04.2019 को मात्र 570 कर्मचारी, दिनांक 04.04.19 को 571 कर्मचारी एवं दिनांक 05.04.19 को 680 कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज हुयी है। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि 80 वार्डों में अटेंडेंस हेतु उपकरण प्राप्त करा दिये गये हैं किन्तु संलग्न सूची में मात्र 43 वार्डों में उपस्थिति दर्ज की गई है तथा कई वार्डों कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि उपस्थिति दर्ज करने में वार्ड सुपरवाइजरों/सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है और न ही उनके उच्चाधिकारियों द्वारा कोई समीक्षा की जा रही है। यह अत्यन्त खेद का विषय है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-


1. तत्काल सभी वार्डों में सफाई कर्मियों की दैनिक उपस्थिति आनलाईन बायोमेट्रिक मशीन पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
2. मशीन अप्राप्त वार्डों में मे0 शांपूरजी द्वारा तत्काल उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उपस्थिति के सन्दर्भ में किसी प्रकार की सहायता हेतु संस्था के कर्मों प्रातः कार्यावधि में फोन पर अवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे तथा तत्काल समस्या का निदान करायेंगे।
4. वार्डों में सफाई कर्मियों की उपस्थिति न होने/कम होने की दशा में सम्बन्धित सुपरवाइजर/स्वास्थ्य निरीक्षक का वेतन रोकते हुये उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा।
5. आगामी माह का वेतन भुगतान बायोमेट्रिक अटेंडेंस से प्राप्त उपस्थिति के अनुरूप किया जायेगा।
6. इस कार्य की दैनिक समीक्षा मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जायेगी तथा दैनिक प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा।

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए नगर की उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

  
(आशुतोष कुमार द्विवेदी)  
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. अपर नगर आयुक्त-1, नगर निगम वाराणसी ।
2. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अनुपालनार्थ।
3. समस्त मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक /स्वा0 निरीक्षक को अनुपालनार्थ।
4. मे0 शांपूरजी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल सभी वार्डों में बायोमेट्रिक मशीने उपलब्ध करायें तथा सहयोग/सहायता हेतु कर्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करें।

  
(आशुतोष कुमार द्विवेदी)